न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
***पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.***

| दावा | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 1 / 207 / 16 | 18.11.2016 | 18.05.2018 |

उनवान

1. आशु खां
2. मुबीन खां
3. मुस्ताक खां पुत्रांन इब्राहिम खां
4. रसमीना पुत्री इब्राहिम
5. सुब्बी पुत्री इब्राहिम जातियान मेवान निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

.............. प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.11, 1307 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी मिन वादीगण की माता स्व0 श्रीमती सुभानी उर्फ निक्की की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन वादीगण के पिता इब्राहिम पुत्र धुन्धल की केवल एक शादी (निकाह) हुआ था जो मिन वादीगण की माता सुभानी उर्फ निक्की के साथ ही हुआ था। चूंकि मिन वादीगण के पिता इब्राहिम फौत हो गया है उसकी विरासत का इन्तकाल अन्य आराजी का हम वादीगण सभी बहन भाई तथा हमारी माता स्व0 सुभानी के नाम भी स्वीकार होकर जमाबन्दी में अमल हो गया जिससे साबित होता है कि इब्राहिम की एक मात्र शादी हुई थी जो उसकी पत्नी का नाम सुभानी उर्फ निक्की था और हमारी माता स्व0 सुभानी को गांव में इन दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता था । मेरे पिता के एक ही पत्नी थी। विवादित आराजी को जर्ये बयनामा खरीद किया तब बयनामा लिखते समय अर्जीनवीस को दोनों नाम बताये थे परन्तु उसने

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सिर्फ एक नाम निक्की ही लिख दिया चूंकि माता पिता दोनों अनपढ थे। अब वादीगण की माता का देहान्त हो गया तो विरासत दर्ज कराने की बात आई तो पता चला कि माता का नाम कुछ रिकार्ड मे सुभानी लिखा है तथा कुछ में निक्की दर्ज हो रहा है। अतः सही नाम की दुरूस्ती कराने बाबत वाद पेश किया है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.11, 1307 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में जो हमारी स्व0 माता श्रीमती सुभानी उर्फ निक्की के नाम दुरूस्त कर हम वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवावे व काबिज काश्तकार खातेदार है वो इसी प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार के घोषित कराने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में दिनांक 18.05.2018 का पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। तथा प्रकरण में रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगढ की आराजी खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.11, 1307 रकबा 0.25 हैक्ट0 खातेदार एवं प्रार्थिया निक्की स्त्री इब्राहिम मेव 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया का नाम सुभानी है। प्रार्थिया के राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र भी सुभानी पत्नी इब्राहिम के नाम से बने हुए है । अतः निक्की व सुभानी दोनों नाम एक ही औरत के है। प्रार्थिया के राशनकार्ड पहचान पत्र व आधार कार्ड में सुभानी होने के कारण उक्त आराजी में निक्की के बजाय सुभानी किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर सही नाम निक्की के बजाय सुभानी की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.11, 1307 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

माता स्व0 श्रीमती सुभानी का नाम निक्की दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर सुभानी दर्ज करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम का अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ)
***पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.***

| दावा | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 1/207 /16 | 18.11.2016 | 18.05.2018 |

उनवान

1. आशु खां
2. मुबीन खां
3. मुस्ताक खां पुत्रांन इब्राहिम खां
4. रसमीना पुत्री इब्राहिम
5. सुब्बी पुत्री इब्राहिम जातियान मेवान निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील रामगढ।

.............. प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

## पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.11, 1307 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में वादीगण की माता स्व0 श्रीमती सुभानी का नाम निक्की दर्ज किया हुआ है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर सुभानी दर्ज करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड वादीगण के नाम का अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

*उपखण्ड अधिकारी*
*रामगढ (अलवर)*